

भाग-2

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:- नारायणबगड किमोली मोटर मार्ग के किमी० ८ से नैणी मल्ली, मुसाउद्यार-बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.346हौ० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

1. (i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(i) जिला	चमोली
(ii) जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iii) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	4.346हौ०
2- पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	2.774हौ० आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि 0.682हौ० एवं नाप भूमि 0.957हौ०
3- अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा-	प्रस्ताव में संलग्न।
(i) वन का प्रकार	आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम सोयम भूमि।
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.1-0.3
(iii) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना।	प्रस्ताव में संलग्न।
(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	-
4- भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न।
5- वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	वन भूमि की सीमा आरक्षित वन भूमि से होकर गुजर रहा है।
6- वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नहीं।
(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्यधिकास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपावद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावद्व की जाय)	नहीं।
(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्व की जाय)	नहीं।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावद्व की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, तो उसके ब्यौरे	नहीं।

7— क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपरावट्ट किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र के साथ उसका ब्यौरा दें)।	नहीं।
8— पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग—1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	लागू नहीं।
9— किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:-	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धातों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हाँ/ नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हाँ/ नहीं)	नहीं।
10— क्षतिपूरक वनरोपण रक्कीम के ब्यौरे:-	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः।	प्रस्ताव में संलग्न।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल मैप
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डिजिटल मैप
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण रक्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण रक्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्ययः—	
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संवद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण—पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
11— वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हाँ/ नहीं)	नहीं।
12— स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति दी जाती है।

स्थानः— गोपेश्वर।
दिनांक—०८/०४/२०२४

Alom
(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।